# न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–5, इटावा।

सत्र परीक्षण संख्या–942/2024

राज्य बनाम गोस मोहम्मद उर्फ गुड्डू आदि।

धारा–3/8/5 ख, 5 क(7) गौवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम एवं धारा–420, 467, 468, 471 भा०दं०सं०।
मुकदमा अपराध संख्या–15/2024
थाना–ऊसराहार, जिला–इटावा।

## आरोप

मैं नीरज कुमार गर्ग, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–5 इटावा आप अभियुक्तगण **गोस मोहम्मद उर्फ गुड्डू, सलमान, शेर अली उर्फ अली मोहम्म, मोहम्मद अहमद, मो० रजी एवं रवी** को निम्न आरोपों से आरोपित करता हूँ–

**प्रथमः–** यह कि दिनांक–29.01.2024 को समय लगभग 06.30 बजे, बस्थान आगरा लखनऊ एक्सप्रेस–वे पर, कुदरैल चौकी से करीब 1.500 किमी. आगे बने गोल चक्कर पर, अन्तर्गत थाना ऊसराहार जनपद इटावा में उपनिरीक्षक अरुण कुमार मय हमराहियान द्वारा कन्टेनर ट्रक सं० RJ 18 GA 4099 को पकड़ा गया, जिससे 28 सांड जिन्दा व 02 गाय जिन्दा, कुल 30 गौवंश लदे हुए पाये गये, जिनका जीवन संकटपूर्ण था, जिसे आप अभियुक्तगण द्वारा गौवध हेतु ले जाया जा रहा था। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया है, जो गौवध निवारण अधिनियम की **धारा–3/8/5 ख** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

**द्वितीयः–** यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों द्वारा उपरोक्त कन्टेनर ट्रक सं० RJ 18 GA 4099 का प्रयोग गोवंशो की तस्करी के परिवहन में अधिनियम व नियमों का उल्लंघन करके किया जा रहा था। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया है, जो गौवध निवारण अधिनियम की **धारा–5 क(7)** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

**तृतीयः–** यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे कन्टेनर ट्रक सं० RJ 18 GA 4099 से उपरोक्त 30 गौवंश को उतरवाया गया, जो कि अनुचित तरीके से कन्टेनर ट्रक में लदे हुए थे तथा भूख प्यास से व्याकुल थे। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया है, जो पशु क्रूरता अधिनियम की **धारा–11** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

**चतुर्थः–** यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों के द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे उपरोक्त कन्टेनर ट्रक को पकड़ा गया तथा आप लोगों ने बदनीयित से उसकी पहचान मिटाने के उद्देश्य से व छल करने के आशय से उक्त वाहन पर फर्जी नम्बर की प्लेट लगायी। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया है, जो भा०दं०संहिता की **धारा–420** के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

**पंचमः–** यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों के द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे उपरोक्त कन्टेनर ट्रक को पकड़ा गया तथा आप लोगों ने उक्त वाहन से गौवंशों की तस्करी करने के आशय से जालसाजी कर उक्त वाहन की नम्बर प्लेट की कूटरचना की। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया है, जो भा०दं०संहिता की **धारा–467** के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

**षष्ठमः–** यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों के द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे उपरोक्त कन्टेनर ट्रक को पकड़ा गया तथा उक्त वाहन की नम्बर प्लेट फर्जी लगी हुई थी तथा आपके द्वारा यह जालसाजी इस आशय से की गयी थी कि इसे छल करके गौवंश की तस्करी हेतु काम में लाया जायेगा। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया है, जो भा०दं०संहिता की **धारा–468** के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

**सप्तमः–** यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लोगों के द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे उपरोक्त कन्टेनर ट्रक को पकड़ा गया तथा उक्त वाहन की नम्बर प्लेट फर्जी लगी हुई थी तथा आपके द्वारा उक्त कृत्य इसकी पहचान मिटाकर असली के रूप में प्रयुक्त किये जाने हेतु किया गया था। इस प्रकार आप लोगों ने ऐसा अपराध किया है, जो भा०दं०संहिता की **धारा–471** के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आप अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि आप अभियुक्तगण का परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जाय।

**(नीरज कुमार गर्ग)**
दिनांक–19.11.2024 अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–5, इटावा।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये, जिससे उन्होंने इंकार किया एवं परीक्षण की मांग की।

**(नीरज कुमार गर्ग)**
दिनांक–19.11.2024 अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–5, इटावा।

# न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-5, इटावा।

सत्र परीक्षण संख्या-942/2024

राज्य बनाम गोस मोहम्मद उर्फ गुड्डू आदि।

धारा-3/8/5 ख, 5 क(7) गौवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम एवं धारा-420, 467, 468, 471 भा०दं०सं०।
मुकदमा अपराध संख्या-15/2024
थाना-ऊसराहार, जिला-इटावा।

**-आदेश-**

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने राज्य की ओर से अभियोजनपक्ष के मामले का वर्णन किया और अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप का विचारण देते हुए यह बताया कि वह अभियुक्तगण के दोष को किस साक्ष्य द्वारा सिद्ध करने की प्रस्थापना करते है।

मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को भी आरोप के प्रश्न पर सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य तथा परिस्थितियों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ऐसी उपधारणा करने का उचित आधार है अभियुक्तगण **गोस मोहम्मद उर्फ गुड्डू, सलमान, शेर अली उर्फ अली मोहम्म, मोहम्मद अहमद, मो० रजी एवं रवी** ने धारा-**3/8/5 ख, 5 क(7) गौवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम एवं धारा-420, 467, 468, 471 भा०दं०सं०** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाये।

**(नीरज कुमार गर्ग)**
दिनांक-19.11.2024 अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०-5, इटावा।

आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाये व समझाये गये, जिससे उन्होंने इन्कार किया और विचारण की मांग की। अतः अभियोजन साक्ष्य हेतु पत्रावली दिनांक 03.12.2024 को प्रस्तुत हो। समस्त गवाहान तलब हो।

**(नीरज कुमार गर्ग)**
दिनांक-19.11.2024 अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०-5, इटावा।